फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरकार जरिये एस एच ओ हरमाडा बनाम पवन कुमार व अन्य

केस संख्या 139 /2024 (गोवंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
4-10-2024	पत्रावली पेश हुई। विभागीय पैरोकार व अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभय पक्ष सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे का समर्थन करते हुये कथन किया कि दिनांक 29.09.2024 को मुखबिर से गौ वंश को अवैद्य तरीके से भर कर ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर टोडी मोड के पास नाकाबन्दी में ट्रक नम्बर आरजे 18 जीए 3939 को रोक कर जांच किये जाने पर ड्राईवर पवन कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र यादव जाति अहीर निवासी डेरोली अहीर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ ने ट्रक में कुल 13 गाये व 01 नवजात बछडे को ठूस–ठूस कर रस्सियों से बांध कर भर रखा था। उक्त गायें चौमू एरिया से भर कर नागपुर महाराष्ट्र में बेचने हेतु ले जाना बताया। अप्रार्थी द्वारा ट्रक में गो वंश को बिना किसी चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञप्ति के क्षमता से अधिक क्रूरता के साथ भर कर एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते पाया गया है। मामला धारा 5, 6 व 8 राजस्थान गौ वंश पशु (वध का प्रतिषेघ और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1955 के तहत पाये जाने से जब्त गायों को प्रबन्धक, ग्वाला बाबा गो सेवा समिति मंशारामपुरा की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि उक्त गायें डेयरी उद्योग के उद्देश्य से क्रय की गई थी। उक्त गायों में से एक गाय के साथ 10 दिन का नवजात बछडा था व 12 गायें गर्भवती थी जो जल्द ही बच्चा पैदा करने वाली है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि अप्रार्थी की गाये डेयरी उद्योग के आशय से खरीद की गई है। अप्रार्थी द्वारा उक्त गायें दिनांक 29.09.2024 को महेश चौपडा से खरीद की गई थी। जिसकी राहदारी पशु बिक्री पावती जो विक्रयकर्ता के हस्ताक्षरशुदा है तथा उक्त समस्त पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र राजकीय पशु चिकित्सक चीथवाडी का दिनांक 29.09.2024 को जारी शुदा है। उक्त समस्त प्रमाण पत्र व बिल अप्रार्थी द्वारा पुलिस के वाहन को रोकने पर चैकिंग करते समय मांगने पर दिखा दिये गये थे, परन्तु भीड़ के दबाव मे पुलिस द्वारा विधि विधि विरूद्व तरीके से अप्रार्थी की गाये जब्त कर ली गई। जब्त शुदा गाये कीमती, दुधारू व गर्भवती गायें है जिनकी उचित	

जिला कलक्टर
जयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरकार जरिये एस एच ओ हरमाडा बनाम पवन कुमार व अन्य

केस संख्या 129 /2024 (गोवंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप
24-10-2024	देखरेख के अभाव में गायों को नुकसान हो सकता है। अतः जब्त गायों को सुपुदर्गी पर दिये जाने के आदेश फरमावे। उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नें चिकित्सक रिपोर्ट होने का कथन किया है, किन्तु वह चिकित्सक रिर्पोट दौराने जब्ति पुलिस द्वारा बनवाई गई है प्रार्थी द्वारा नहीं। अप्रार्थी द्वारा बिना चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के ट्रक में ठूंस ठूंस कर कुल 13 गर्भवती गायों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए परिवहन करते जब्त किया गया है जो राजस्थान गो वंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5, व 6 का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत जब्त गो वंश को गौ शाला या किसी गो सदन को सौपने के प्रावधान है। जिसके तहत पूर्व में ही थानाधिकारी पुलिस थाना हरमाडा द्वारा प्रबन्धक, ग्वाला बाबा गो सेवा समिति मंशारामपुरा की सुपुदर्गी में दे दिया गया। जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अप्रार्थी नितिन यादव का जब्त गायों को सुपुदर्गी पर दिये जाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । पत्रावली नम्बर से कम । जिला कलक्टर जयपुर

जिला कलक्टर जयपुर जिला